

प्रेस नोट दिनांक 13.02.2025 जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक- 13.02.2026

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 25000/- रुपये का ईनामिया 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

अन्तर्जनपदीय ईनामिया अभियुक्त पर जनपद बलरामपुर, अमेठी, श्रावस्ती, सिध्दार्थ नगर, प्रतापगढ़ में लूट, चोरी, गैंगस्टर व NDPS ACT, जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत है।

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा अन्तर्जनपदीय अभियुक्त को जनपद गोण्डा थाना धानेपुर क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजजन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना कुण्डा उ0नि0 निर्मल कुमार शर्मा, का0 अजीत यादव द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 232/2025 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त राजेश कुमार उर्फ खन्ना पुत्र रामसागर नि0 ग्राम छेदा का पुरवा मौजा बनगाई थाना धानेपुर जनपद गोण्डा उम्र करीब 50 वर्ष को जनपद गोण्डा थाना धानेपुर क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अन्तर्जनपदीय ईनामिया अभियुक्त का विवरण-

01. राजेश कुमार उर्फ खन्ना पुत्र रामसागर नि० ग्राम छेदा का पुरवा मौजा बनगाई थाना धानेपुर जनपद गोण्डा उम्र करीब 50 वर्ष ।

ईनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त राजेश कुमार उर्फ खन्ना पुत्र रामसागर नि० ग्राम छेदा का पुरवा मौजा बनगाई थाना धानेपुर जनपद गोण्डा उम्र करीब 50 वर्ष का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 232/2025. धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 38/2010 धारा 279/337 भादवि व 183/184 मोटर व्हिकल एक्ट थाना सैदुल्ला नगर जिला बलरामपुर।
3. मु0अ0सं0 491/2016 धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम थाना गौरीगंज जिला अमेठी ।
4. मु0अ0सं0 2201/2017 धारा 392/411 भादवि थाना भिंगा जिला श्रावस्ती
5. मु0अ0सं0 3105/2017 धारा 392/411 भादवि थाना सिरसिया जिला श्रावस्ती ।
6. मु0अ0सं0 83/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0 थाना बांसी जिला सिध्दार्थ नगर ।
7. मु0अ0सं0 352/2022 धारा 373/411 भादवि थाना बांसी जिला सिध्दार्थ नगर ।
8. मु0अ0सं0 371/2024 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 निर्मल कुमार शर्मा, का0 अजीत यादव थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक-13.02.2026

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई।

थाना कुण्डा के उ0नि0 राजकुमार मय हमराह द्वारा शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत आज दिनांक 13.02.2026 को शांति भंग की आशंका में कुल 02 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई 1. सूबेदार यादव पुत्र कालीदीन निवासी मवई अहिरन का पुरवा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 40 वर्ष व 2-द्वितीयपक्ष के दिलीप यादव पुत्र कालीदीन निवासी मवई अहिरन का पुरवा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 35 वर्ष को अंतर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में चालान कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पुलिस टीम का विवरण —

उ0नि0 राजकुमार मय हमराह थाना कण्डा जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 13.02.2026

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्ता को थाना रानीगंज पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्ता को थाना क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.04.2025 को वादिनी निवासी नरसिंहगढ़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ने आरोप लगाया कि जमीनी रंजिश के कारण आरोपीगण द्वारा गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए, कुल्हाड़ी, लोहे की रॉड व डंडे से वादिनी के परिजनों पर हमला कर घर में घुसकर मारपीट कर घायल कर दिया तथा बीच-बचाव करने पर वादिनी को भी चोट पहुँचाई। उक्त संबंध में थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 101/25 धारा 115 (2),352,351 (3),333, 109 (1)बी0एन0एस0 बनाम 04 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना रानीगंज के उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह कां0 मनोज कुमार, व म0का0 प्रियंका कुशवाहा द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 101/25 धारा 115 (2),352,351 (3),333,

109 (1)बी0एन0एस0 से संबंधित 01 अभियुक्ता, 1.सायमीन बानो उर्फ शामीन पत्नी वाहिद अली निवासी ग्राम नरसिंहगढ़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

01. सायमीन बानो उर्फ शामीन पत्नी वाहिद अली निवासी ग्राम नरसिंहगढ़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह कां0 मनोज कुमार, व म0का0 प्रियंका कुशवाहा थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक-13.02.2026

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 05 अभियुक्त/अभियुक्ता के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई।

थाना लीलापुर के उ0नि0 प्रशांत कुमार मय हमराह म0उ0नि0 ज्योति सिंह, का0 सौरभ पाण्डेय द्वारा शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत आज दिनांक 13.02.2026 को शांति भंग की आशंका में कुल 05 अभियुक्त/अभियुक्ता के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई। उक्त कार्यवाही 1.पवन पाल पुत्र रामप्रसाद पाल उम्र करीब 26 वर्ष, 2. पृथ्वीराज पुत्र सुरेन्द्र पाल उम्र करीब 36 वर्ष, 3. मालती देवी पत्नी राकेश बर्मा उम्र 35 वर्ष, 4. अंजू देवी पत्नी पवन पाल उम्र करीब 23 वर्ष, 5. ज्योति देवी पत्नी पृथ्वीराज उम्र करीब 33 वर्ष समस्त नि0गण ग्राम पाती थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ को अंतर्गत धारा 170/126/135 बीएनएस में चालान कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पुलिस टीम का विवरण —

उ0नि0 प्रशांत कुमार मय हमराह म0उ0नि0 ज्योति सिंह, का0 सौरभ पाण्डेय थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 13.02.2026

थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्त/अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज के उ0नि0 मिथलेश कुमार मय हमराह का0 तेज प्रकाश व म0का0 लवली सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित/वारंटी अभियुक्त के मु0नं0 169/12 एनसीआर नं0 39/11 धारा 323/504/506 आईपीसी से सम्बन्धित वारंटी 03 अभियुक्त/अभियुक्ता 1.धीरेन्द्र पुत्र रमाशंकर नि0 वरई का पुरवा बरियांवा थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 38 वर्ष, 2.रामलखन पुत्र शिवबालक नि0 वरई का पुरवा बरियांवा थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 59

वर्ष, 3.गुलाबकली उर्फ बुध्दा पत्नी रामलखन नि0 वरई का पुरवा बरियांवा थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 56 वर्ष को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-

1. धीरेन्द्र पुत्र रमाशंकर नि0 वरई का पुरवा बरियांवा थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 38 वर्ष।
2. रामलखन पुत्र शिवबालक नि0 वरई का पुरवा बरियांवा थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 59 वर्ष ।
3. गुलाबकली उर्फ बुध्दा पत्नी रामलखन नि0 वरई का पुरवा बरियांवा थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 56 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 मिथलेश कुमार मय हमराह का0 तेज प्रकाश व म0का0 लवली सिंह थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।